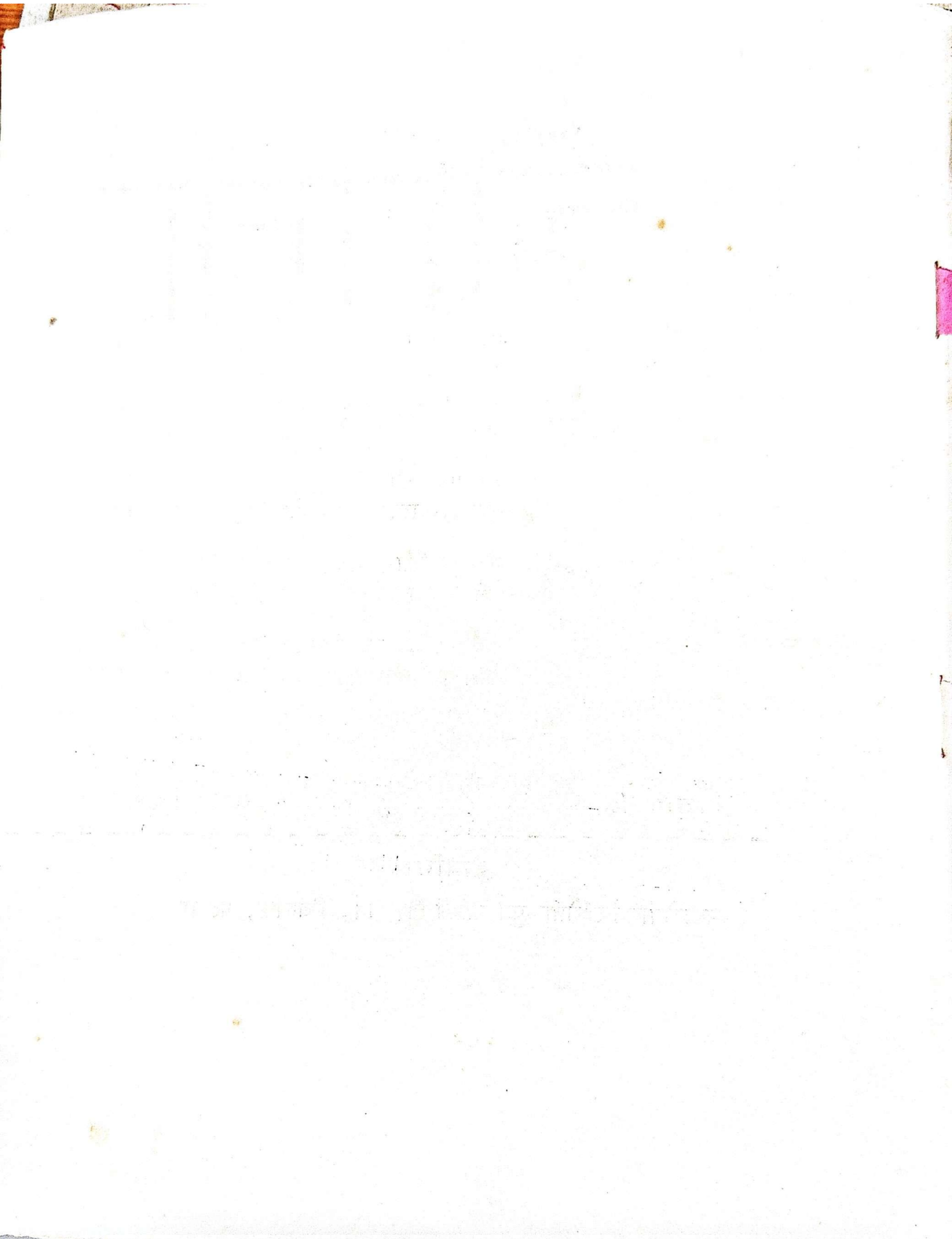


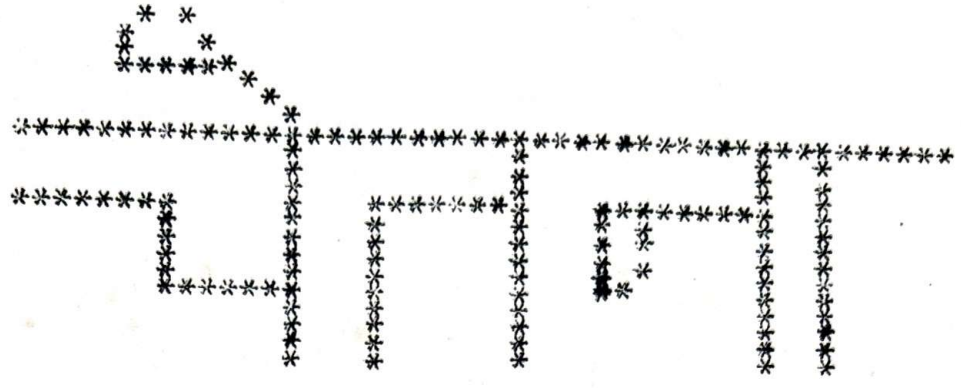
चेतना

द्वितीय अंक

जुलाई 1988

कार्यालय
महालेखाकार (देखा एवं हकदारी) II, बिहार, पटना





द्वितीय अंक

जुलाई १९८८

कार्यालय

महालेखाकार लेखा एवं हकदारी ॥, बिहार, पटना

चे
त
ना
प
रि
वा
र

- संरक्षक : श्री सी०वी० श्रीनिवासन,
महालेखाकार॥ले० एवं ह०॥, बिहार, पटना
- परामर्शदातृ समिति : श्री जी०एन० सुन्दर राजा,
उपमहालेखाकार॥ले० एवं ह०॥, बिहार, पटना
- श्री सुकेश पी० सिंह,
उपमहालेखाकार॥ले० एवं ह०॥, बिहार, पटना
- श्री जगदीश प्रसाद,
लेखा अधिकारी, बिहार, पटना
- सम्पादक : श्री सतीश चन्द्र सिन्हा,
लेखा अधिकारी॥हिन्दी कक्षा॥, बिहार, पटना
- संयुक्त सम्पादक : डा० जितेन्द्र कुमार, वरिष्ठ लेखाकार,
॥हिन्दी कक्षा॥, बिहार, पटना

"चेतना" के द्वितीय अंक आपत्तियों को सौंपते हुए अपार हर्ष हो रहा है। इसका प्रथम अंक इन पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं।

भारतवर्ष की राज्य-भाषा, राजभाषा एवं राजभाषा हिन्दी है। इसके बढ़ावे के लिए हमलोग सदा प्रयत्नशील हैं। मातृभाषा हिन्दी को अग्रसर कराने के लिए इस कार्यालय से "चेतना" पत्रिका निकाली जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि इसे हम वर्ष में दो बार निकालें। अभी यह पत्रिका साइक्लोस्टाइल रूप में निकाली जा रही है। अनुकूल अवसर पाकर इसे भविष्य में मुद्रित रूप में प्रकाशित कराने का प्रयास किया जाएगा।

पत्रिका की प्रशंसा में विभिन्न कार्यालयों से पत्र आए हैं। उन पत्रों से हमारा उत्साह बढ़ा है। सभी पत्रों को स्थानाभाव के कारण हम पत्रिका में निकाल नहीं पा रहे हैं। उनमें से कुछ पत्रों का सारांश हम पत्रिका में निकाल रहे हैं।

हमारी पत्रिका के लिए जिन बन्धुओं ने अपनी रचनाएं दी हैं, हम उनके आभारी हैं। जहिन्दी भाषी होते हुए भी हमारे महालेखाकार श्री सी०वी० श्रीनिवासन ने हिन्दी के प्रति अपनी जो अभिरुचि दिखाई है और इस कार्यालय से "चेतना" पत्रिका को निकालने में अपना जो योगदान दिया है इसके लिए हम उनके विरहणी रहेंगे।

इस कार्यालय के श्री नरेन्द्र कुमार सिंह "नाहर", लेखाकार, निधि-०आर०भी००, डा० जितेन्द्र कुमार, वरिष्ठ लेखाकार, "हिन्दी कक्ष" एवं श्री कुशवर षडित, लिपिक, "हिन्दी कक्ष" ने अपना बहुमूल्य समय दिया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं।

(असिन्हा)

॥ सतीश चन्द्र सिन्हा ॥
हिन्दी कक्ष

क्र०सं० विषय	रचना के प्रकार	रचयिता	पृ०सं०
1. चेतना परिवार			
2. सम्पादकीय			
3. अनुक्रमणिका			
4. आपके पत्र			
5. हिन्दी गजल	कविता	श्री उमेश्वर प्र० सिंह	7
6. भारतीय संस्कृति और आधुनिक परिवेश	निबन्ध	श्री सतीश चन्द्र सिन्हा	8-13
7. कवि और कविता	कविता	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह "नाहर"	14
8. सोचने का ढंग	निबन्ध	श्री डा० जितेन्द्र कुमार	15-18
9. भावना और चेतना	कविता	श्री नरेन्द्र कुमार ताल	19
10. दुर्भाग्य	कहानी	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह "नाहर"	20-23
11. मानव-वेदना	कविता	कुमारी सुमन टिग्गा	24
12. केन्द्रीय औद्योगिक सेवा, वृत्तिकरण, नियन्त्रण और अपील नियम, 1965 की एक झलकी	लेख	श्री एम०एन० हक	25-34
13. अलविदा एकस्प्रेस	कविता	श्री पीयूष ओझा	34
14. एक विनती	कविता	कुमारी सुमन टिग्गा	35
15. बिहार केसरी-डा० श्री कृष्ण सिंह	निबन्ध	श्री नुमान अख्तर	36-39
16. दलता सूरज	कविता	श्री कुशेश्वर षडित	40
17. चक्र	कहानी	श्री अवधेश कु० सिन्हा	41-45
18. जरा विचारो	कविता	श्री गिरिजा नन्दन सिंह	46
19. हिन्दी ज्ञान दीपिका			47
20. बाट खोया रे बटोही	कविता	श्री जयप्रकाश मल्ल	48-49
21. तेरी याद में	कविता	श्री वंशीधर मिश्र	49
22. कुछ महत्वपूर्ण युगम शब्द एवं अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्यायों की संक्षिप्त सूची			50

चेतना के प्रवेशांक की पांच प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं।

नई दिल्ली
4.1.88

आत्मा राम फोन्डणी
सोप्रोओ हिन्दी
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का
कार्यालय, नई दिल्ली ।

"चेतना" का प्रवेशांक इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। इस पत्रिका को पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु आपका यह प्रयास सराहनीय है। पत्रिका की आगे की सफलता के लिए हमारी शुभकामनाएँ स्वीकार करें ।

कलकत्ता,
18.2.88

एओवीओ राव,
उपमहालेखाकार प्रशासन
कार्यालय महालेखाकार-द्वितीय, पश्चिम
बंगाल, कलकत्ता ।

"चेतना" का प्रवेशांक प्राप्त हुआ, धन्यवाद । पत्रिका में लेख रोचक एवं कविताएँ सरस हैं । "भारत की अनेकता में एकता", "विहार के ऐतिहासिक संपूर्ण" एवं हिन्दी के बढ़ावे के लिए" शीर्षक से प्रकाशित रचनाएँ सशक्त हैं। "प्रतीक्षा" कविता में "इस काले घन वाले नभ में कब चमकेगा चाँद सजी" की प्रतीक्षा में कवि के साथ कविता के पाठक ही स्वतः सहभागी हो जाते हैं। आशा है, पत्रिका उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होगी।

जयपुर,
11.2.88

रओओ वर्मा,
उपमहालेखाकार प्रशासन
महालेखाकार लेखापरीक्षा राजस्थान
जयपुर

पत्रिका में सभी रचनाएँ उच्चकोटि की हैं तथा रचनाओं की विविधता ने पत्रिका को रोचक बना दिया है। हम इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं ।

मद्रास
23.2.88

जेम्स जोसेफ,
वरिष्ठ उपमहालेखाकार प्रशासन
महालेखाकार लेओएवहओ, तमिलनाडु, मद्रास

पत्रिका की सामग्री रोचक तथा ज्ञानवर्धक है। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ ।

बंगलूर
26.2.88

विनायरान्दे,
लेखापरीक्षा अधिकारी बिज्लस
महालेखाकार-1 का कार्यालय,
कर्नाटक, बंगलूर

पत्रिका की पावती भेज रहा हूँ पत्रिका की सामना करते हुए।

कलकत्ता,
22.2.88

डि० बसु,
लेजापरीक्षा अधिकारी,
कार्यालय महालेखाकार, लेजापरीक्षा, प्रथम,
परिचय वर्गाल, कलकत्ता

आपकी पत्रिका में संकलित विविध विषयों की सामग्री हिन्दी भाषा को प्रगति के सर्वोच्च शिखर पर आरुढ़ कराने में पूर्णतः सक्षम है तथा साथ ही उच्चस्तरीय एवं हृद्यग्राह्य है जिसके लिए खनाकार तथा सम्पादक मण्डल प्रशंसा के पात्र हैं।

हमारी अभिलाषा है कि आपकी "चेतना" सर्वदा स्रुतन, आकर्षक और प्रेरणादायक बनी रहे और फलतः सम्पूर्ण विश्व के जनमानस में हिन्दी भाषा की पुनीत चेतना जागृत करने में सहायक सिद्ध हो।

इलाहाबाद,
2.3.88

एस०वी० पिल्लै,
वरिष्ठ उपमहालेखाकार, प्रशासन,
कार्यालय महालेखाकार, ले० एवं ह०-2, 3 फ़.
इलाहाबाद

आपके कार्यालय की चेतना पत्रिका का नवंबर 1987 का अंक सधन्यवाद प्राप्त हुआ। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की ओर से इस सफल प्रयास के लिए बधाई दी जाती है और यह कामना की जाती है कि इस पत्रिका में नवीनतम जानकारीयों की ज्ञान त्वर्द्धक सामग्री प्रकाशित होती रहेगी।

नई दिल्ली,
22.2.88

दर्शन सिंह,
प्रचार मंत्री,
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली

"चेतना" का प्रवेशांक प्राप्त हुआ। इसके लिए धन्यवाद। पत्रिका में लेख और कहानियाँ तथा कविताएँ रोचक हैं। विशेष कर डॉ० जितेन्द्र कुमार जी का लेख "हिन्दी के बढ़ावे के लिए" एक श्रेष्ठ लेख है। उनका कथन कि "संसार की सर्वाधिक समृद्धशालिनी भाषा संस्कृत जिसकी माँ है उसकी बेटी हिन्दी कैसे दुर्बल एवं अशक्त हो सकती है" यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। हिन्दी अशक्त नहीं है इसे स्वार्थियों ने जान-बूझकर अशक्त करार दिया है।

आशा है, भारत सरकार के केन्द्रीय कार्यालयों में हिन्दी के प्रति उठी चेतना को प्रसारित करने में "चेतना" का प्रयास समुचित होगा।

हेदराबाद,
13-4-1988

रेवती अग्रसर,
उपमहालेखाकार, प्रशासन,
महालेखाकार, ले० तथा ह० का कार्यालय, आन्ध्र-
प्रदेश, हेदराबाद

उमेश्वर प्र० सिंह

बेघर है हम, हमको घर चाहिये,
जिन्दगी है सफर, हम-सफर चाहिये ।

जिन्दगी में हरेक लोग से प्यार हो,
प्यार घर न मिले, तो जहर चाहिये ।

चाँदनी रात गर विरह की रात हो,
एक प्रोक्षित प्रिया को, पीहर चाहिये ।

अधिला फूल हो ~~अधिल~~ रत्न हो,
उनकी नाजूक खड़ा को, कमर चाहिये

नींद आने लगी है, जवाँ रात को,
उनके तपते अधर को, अधर चाहिये ।

गाँव में जब न रहने का जी चाहता,
मन लगाने को सुन्दर शहर चाहिये ।

खेल क्रिकेट का घातक वतन के लिए,
खेल हो तो ~~खेल~~ का हुनर चाहिये

जिन्दगी में पराबी बहुत है मगर,
हमको मरते ही मंगा जल चाहिए ।

इस वतन में है मंहगाई आकाश में,
हम गरीबों को रास्ता मटर चाहिये।

ये जो आतंक है वतन में अभी,
हमको जाफर नहीं, बस जफर चाहिए ।

सतीश चन्द्र सिन्हा,

लेखा अधिकारी, हिन्दी कक्षा

मानव सभ्यता, चिन्तन और कला का विकास जिन तीन मूल तत्वों की ओर प्रारम्भ से ही उन्मुख रहा है-वे हैं सत्य, शिव और सुन्दर। वैदिक साहित्य से लेकर अबतक दर्शन और चिन्तन की सारी परम्पराएँ इन्हीं तीन मूल्यों की सिद्धि में व्यस्त रही। सृष्टि के प्रारम्भिक चरण में जब संसार में सर्वत्र अनगढ़ता और पिछड़ापन छाया हुआ था तब भारत के भ्रमणशील मनीषी विश्व के कोने कोने में गये और उन्होंने ज्ञान विज्ञान से सुदूर देश के लोगों को अवगत कराकर पिछड़े जन-समुदाय को ऊँचा उठाया था। विश्वामित्र, भार्गव, दधीचि, परशुराम, अगस्त्य, विशिष्ट आदि ने अपनी प्रतिभाओं से धरातल को चौकाने वाले दर्शन एवं कृत्य प्रस्तुत किये थे। चाणक्य की राजनीति ने भारत को विश्व का मुकुटमणि बनाया था। बुद्ध और गान्धी ने कुछ ही समय पूर्व न केवल अपने देश को बदला था, वरन् विशाल भू-भाग को नव वेतना से प्रभावित किया था। विवेकानन्द विचार परिवर्तन की महती पृष्ठ भूमि बनकर विदेश भ्रमण के लिए गये थे।

परन्तु तब की परिस्थितियों से अब भारी अन्तर हुआ है। विज्ञान एवं बुद्धिवाद की उन्नति से सुविधा साधन बढ़े हैं। विश्व इन दिनों दो हिस्सों में बंट गया है, एक शोषक दूसरे शोषित अथवा समर्थ दूसरे असमर्थ। दोनों के बीच परोक्ष में ईर्ष्या द्वेष और प्रतिशोध की ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो रही है जो भयानक रूप धारण करते जा रही है। इस बदले परिवेश में अंधेरे को दूर कर डजाला लाने भर से काम नहीं चलेगा। अभी समय की मांग है बौद्धिक भ्रष्टता और आवरण की दृष्टता

को निरस्त करना और इसके लिए आवश्यक है अपनी भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा समझना तथा उस पर अमल करना। संभवतः सही अर्थ नहीं जानने से ही हम सब अभी संस्कृति का अर्थ ठीक विपरीत रूप में खोज रहे हैं। बड़े नगरों में नृत्य, गान, नाटक तक सीमित रह कर संस्कृति को संकुचित करके बाह्यवाही लुटी जा रही है। यह स्थिति मजबूर करती है कि हम विचारे कि संस्कृति की मूल अवधारणा क्या है। मानवीय अस्तित्व और विकास में संस्कृति की महत्ता क्या है।

महान दार्शनिक एवं विचारक दांते ने संस्कृति की पहली शर्त दर्शाते हुए कहा है " विचारों अच्छी तरह उस बीज को जिससे तुम उत्पन्न हुए हो, तुम बनाये नहीं गये हो पशुओं की तरह, जीने के लिए बल्कि तुम्हें सद्गुणों व ज्ञान की तलाश करनी है"।

धन, माल, मोटर और महल पाकर हम सभ्य भले कहे जा सकते हैं, संस्कृत नहीं। सभ्यता बताती है "क्या है तुम्हारे पास" पर संस्कृति सिखाती है "तुम स्वयं क्या हो"। धन का आना और जाना विचित्र नाटकीय व्यापार है, दोनों सूरतें बन्ती हैं और बिगड़ती हैं, देर नहीं लगती है। परन्तु दया, माया, करुणा, अहिंसा साहस और शील न आसानी से लाये जा सकते हैं, न नष्ट ही किये जा सकते हैं। इसका तो जन्म जन्मान्तर तक प्रभाव रहता है तथा विरासत में प्राप्त होता है जैसे उत्तराधिकारी को जो पूर्वजों के चरण चिन्हों का अनुगामी होता है। यह क्रम अटूट रूप से चलता है, क्योंकि संस्कृति विचार की भाषा नहीं जानती। आचार जानती है। यह बाहरी चमक-आडम्बर और सजीले पोशाक नहीं चाहती है। यह तो आत्मा की ज्योति बन कर झरने की तरह फूट कर बहना चाहती है। राष्ट्र कवि दिनकर लिखते हैं:-

" यह न वाह्य उपकरण भार बन, जो आये उपर से
आत्मा की यह ज्योति फूटती, सदा विमल अन्तर से"

संस्कृति का सार तत्व है पराई पीर की पहचान । वापू ने जिसे भजन के रूप में अपनाया था -

"वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे,

पर दुःख उपकार तू कीने - मन अभिमान न आने रे।"

जिसमें पर दुःख कातरता नहीं आई, पराई पीर से आँखें नम ^न हुईं, उसके लिए आध्यात्म, संस्कृति, कला के सारे मायने जोखे हैं ।

कितनी बड़ी विडंबना है कि हम सभी सद्य, सहृदय एवं पर दुःख कातर बने बिना संस्कृत होने का नाटक करते आ रहे हैं। अभी महोत्सव मनाये जाते हैं जो कलात्मक जागरण तो कर ही नहीं पाते पर हम सब दावा करते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। जब देश में जागरण का कार्य नहीं हो पा रहा है तो संस्कृति के नाम पर इस नाटक, प्रदर्शन से क्या लाभ है । औपचारिकता को ही सत्य मान कर मृगत्वष्णा में जीने वाले का ^{स्व} आप जानते ही हैं - न माया मिली न राम । इस दिग्गवे में कहीं अपनी मौलिकता भी दांव पर नहीं चढ़ जाए। वड़ी सटीक किन्तु सशक्त उदाहरण आप लें, हिन्दी हमारी राजभाषा है, इसे संविधान में लिखित स्थान प्राप्त है, जन जन की भाषा है, संस्कृत एवं अन्य देशी भाषाओं को अपने में समाहित करके बहुसंख्यक जन संख्या की भाषा है जो निःसन्देह अपनी है और जनतांत्रिक परिवेश में इसे अपनाना है, किन्तु विदेशी भाषा का विमोह जो गुलामी का प्रतीक है, अब तक पीछा नहीं छोड़ पा रहा है। अंग्रेजी वेश भूषा, अंग्रेजी नाम और अंग्रेजी भाषा के प्रति विमोह हमसबों को शायद एक महान विभूति प्रतीत होता है। इस आपाधापी में, भागदौड़ में अपना अस्तित्व चितकबरा होता जा रहा है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से चाह कर भी हट नहीं पाते और अंग्रेजियत में चाह कर भी सट नहीं पाते। अधिकार चाहते हैं, पर दायित्व से दूर रहना चाहते हैं जो जनतंत्र में

अस्तित्व को जन्म देता है। इस भयावह स्थिति में श्री हम अपनी राजभाषा को सर्वमान्य नहीं कर पाए हैं जो किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए अत्यावश्यक है। यही संस्कृति का विकृत रूप है जिसे हम भ्रम से उचित मानते हैं और सत्य से दूर होते जा रहे हैं। परन्तु संस्कृति की जड़े भारतीय जन मानस पर बहुत गहरी है। दुर्भाग्यवश शताब्दियों तक गुलाम रह कर भी तथा साम्राज्यवादियों के भीषण दबाव से भी हम अपनी भाषा नहीं भूल पाये हैं बल्कि क्रमवत् विकास ही हुआ है। गति धीमी भले ही रही है। बड़ी पूँजी तथा बड़ा साहस इकट्ठा कर जो सिनेमा निर्माता आज सिनेमा बनाने का व्यापार करता है वह इस बात का साहस नहीं करता है कि वह जन-जन की भाषा हिन्दी को नजर अन्दाज कर सके। प्रसिद्ध सिने-अभिनेता तथा अभिनेत्री अ-हिन्दी भाषी होने पर भी हिन्दी सीखते हैं तथा बोलते हैं। उन्हें इसके लिए दबाव नहीं दिया जाता है, कोई कहने नहीं जाता है कि वे हिन्दी सम्भाषण सीखें या बोलें। कारण आप खुद ही सोच लें जो दिनकर जी के शब्दों में भावी सत्य की सूचना देता है " रथ का धर्-धर् नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। " हिन्दी अपने सम्मानित स्थान पर आ रही है - ^{अग्नि} जैसी तेजस्वी भाषा- भारती अर्थात् हिन्दी। इस भारती की पूजा आराधना हम सब का पहला कर्तव्य है क्योंकि हिन्दी कभी अंवल की बोली को महत्वहीन नहीं करती है। अतः हिन्दी को लेकर पूरे देश में विवाद हो और आंचलिकता को प्रश्रय मिले तथा एक धर्म - दूसरे धर्म का बाधक बने, वहाँ राष्ट्र और संस्कृति की बातें व्यर्थ हैं।

विचार ही आदमी को महान बनाता है और संस्कृति आंतरिक परिमार्जन का संगीत बन कर फूटती है। यह विचार को महान बना देती है और फिर भेद मिटने लगता है।

तब न प्रांतीयता की चाह रहती है न अपने गुट की लालसा और तब ऐसा व्यक्तित्व सम्पूर्ण मानव जाति को एक सम्मिलता है। सम्पूर्ण धर्मों में मानव धर्म को उपर सम्मिलता है। फिर विरोध कैसा ? अलग-अलग क्यों ?

अथर्ववेद की उक्ति है "माता भूमि पुत्रोऽहम्" अर्थात् "भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ" ऐसी स्थिति में पृथ्वी केवल मिट्टी की ढेर मात्र नहीं रह जाती, वरन् वह पूजनीया देवी बन जाती है। फिर इसे काटना और बाँटना क्यों ? मातृभूमि तो रक्षती है धारण करती है, दोषों को क्षमा करती है। भूमि के प्रति मातृत्व की इस व्यापक भावना का बोध कराती है हमारी संस्कृति ।

मातृभूमि भारत, राजभाषा हिन्दी तथा प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य की इन वैदिक अवधारणाओं का ही विराट् रूप है। भारत वर्ष। इसकी आत्मा से साक्षात्कार करना होगा जो संस्कृति का सही अर्थ है। इस महान राष्ट्र की आत्मा है अनेकता में एकता । यह एकता जीवन की वह सम्पूर्णता है जो माँ के रूप में अजस्र कामधूधा है। नदी की तरह सदा नीरा है।

प्रजातन्त्र में प्रज्ञा सर्वोपरि होती है, कोई शासक होता ही नहीं, सदा सेवक होता है। अगर किसी को शासक होने की भ्रान्ति हो गयी हो तो उसे समझना होगा कि सत्य क्या है। राष्ट्र बना है "राज" धातु से जिसका अर्थ शोभित होना है, शासन करना नहीं। देश बना है "दिश" धातु से जिसका अर्थ दिशा देना है, पथ-निर्देशन करना है, गति को लक्ष्य देना है। अतः इस भयावह परिवेश में संस्कृति का सही अर्थ ही हम सब को पतन से बचा सकेगा, क्योंकि जो सत्य है उसे छिपाया नहीं जा सकता। सत्य दृष्टि का प्रतिविम्ब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। बस सत्यवादिता के

लिए निष्कपट मन चाहिए। इसका एक मात्र हल है भारत की संस्कृति का साक्षात्कार ।

अंततः मानव का गौरव मानव के भार वहन के सिवा और कुछ नहीं। दूसरों के दुःख सहने से बढ़कर मानव जीवन का और कोई सुख नहीं है।

पूज्य मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है :-

“ गौरव क्या है जन भार वहन करना ही ।

सुख क्या है, बढ़कर दुःख सहन करना ही । ”

= = = = : : = = = =

देश की एकता के सूत्र में आबद्ध करने की शक्ति केवल हिन्दी में है, जिसे मजबूत करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है।

- श्रीमती इन्दिरा गांधी -

अमरभारती की इस लाडली “हिन्दी” के स्वरों में भारत की राष्ट्रीय आत्मा बोलती है ।

- डॉ० सम्पूर्णानन्द -

नरेन्द्र कुमार सिंह "नाहर"

कवि और कविता
एक-दूसरे के अभिन्न अंग हैं
जैसे जलधि और जल-तरंग हैं।
कविता कवि का धर्म है,
कवि कविता का पराक्रम है।

कविता निःसृत हुई,
बन कवि की कृष्ण आह।
निर्मित हुई एक सुदृढ राह,
जिस पर चल कवि ने संस्कृति को
राहत की सांस दी।

कवि प्रष्टा, कविता सूष्ट,
कवि मेघ, कविता वृष्ट,
कवि नैन, कविता दृष्ट,
कवि व्यङ्ग्य, कविता समष्टि।

कविता कवि की स्तरंगी काल्पनिक उड़ान ही नहीं
अपितु उसके श्रम-म्लान मुख की थकान भी है।
अकर्मण्यता में सोता जब सारा जहान है,
तब कविता कवि का तीर-कमान भी है।

कविता बन कवि की सशक्त अभिव्यक्ति,
प्रदर्शित करती अपनी अदम्य शक्ति,
जिसमें जीवन की रिक्तता भी है, कटुता भी है,
सूक्ष्म भावों की तीक्ष्ण प्रवीणता भी है।
जिसमें क्लृप्त-भेद तत्त्व की गहनता भी है,
रूप-लावण्य की अपूर्व मसृणता भी है।
दुर्भावों को क्षत-विक्षत करने की क्षमता भी है
अनादशों की गहन गरलता को मिटाने,
आदशों की सघन सजीवता भी है।

- सोचने का ढंग -

डॉ० जितेन्द्र कुमार ,
एम०ए० {द्वय}, पी-एच०डी०
वरिष्ठ लेखाकार {हिन्दी कक्षा}

"मनुष्य" श्रष्टा की सर्वोत्तम कृति है। इंसान के सोचने का ढंग निराला है। यह कोई आवश्यक नहीं कि एक इंसान किसी चीज को जिस ढंग से सोचता है दूसरा भी वैसा ही सोचे। सब के सोचने का ढंग भिन्न-भिन्न है। एक सज्जन ने कई व्यक्तियों के बीच कहा "सूर्य डूब गया" इस वाक्य का उपस्थित व्यक्तियों ने भिन्न-भिन्न प्रकार का अर्थ लगाया। विद्यार्थी ने सोचा "पढ़ने का समय हो गया है इसलिए कहा जा रहा है कि सूर्य डूब गया।" नर्तकी ने सोचा, "शाम हो गयी है, साज-शृंगार कर, बन-ठन कर नृत्य आदि क्रिया-कलापों में तल्लीन हो जाने का समय आ गया है, इसलिए कहा जा रहा है कि सूर्य डूब गया।" साधु ने सोचा, "संध्या-वन्दन का समय हो गया है।" देहाती चरवाहे ने सोचा "गाय-भैंस को हंकाकर अब घर ले जाने का समय हो गया है।" देहाती दुकानदार ने सोचा, "दुकान को समेटकर अब घर चलने का समय हो गया, इसलिए कहा जा रहा है कि सूर्य डूब गया।" गृहिणियों ने सोचा, "अब दीया-बत्ती जलाने का समय हो गया और शाम को खाना बनाने का समय हो गया।" अतः एक ही वाक्य के अर्थ विभिन्न व्यक्तियों ने विभिन्न प्रकार से लगाए। कहनेवाले ने तो किसी एक ही उद्देश्य से यह वाक्य कहा होगा। श्री हर्षरचित "नैषधीयचरितम्" में दमयन्ती ने कहा, "केतो नलं कामयते मदीयम्" अर्थात् दमयन्ती कहती है, "मेरा वित्त लंका को जाना नहीं चाहता अर्थात् मेरा वित्त लंकापुरी नहीं चाहता" या "अगर राजा नल न

मिले तो मेरा चित्त अनल अग्नि को चाहता है अर्थात् मैं आग में जलकर मर जाना चाहती हूँ" या "मेरा चित्त राजा नल को चाहता है।" श्री ऋग्वेद के उक्त वाक्य का अपनी-अपनी समझ से भिन्न-भिन्न अर्थ लगाया गया, क्योंकि इंसान के सोचने का ढंग अलग-अलग है।

एक कटोरे में आधा कटोरा पानी था। इसे देखकर एक सज्जन ने कहा "आधा कटोरा पानी जाती है।" पोजिटिव विचार रखने वालों की दृष्टि में इसे यों भी कहा जा सकता है, "आधा कटोरा पानी भरा है।" पांच कमरे वाले किराये के मकान के दो कमरे किराये पर लगे थे। इस पर एक सज्जन ने कहा, "इस मकान के तीन कमरे जाती हैं।" पोजिटिव विचार रखने वाले व्यक्ति इसे यों भी कह सकते हैं, "इस मकान के दो कमरे किराये पर लब्ध चुके हैं।"

एक सज्जन ने मुझसे तीन सौ रूपए कर्ज के रूप में मागे। मैं ने उन्हें दो सौ अस्सी रूपए कर्ज के रूप में दिए क्योंकि मेरे पास तीन सौ रूपए में से बीस रुपये कम ही थे। उन्होंने बीस स्थानों में यह बात फैलाई, "मैं ने अमुक व्यक्ति से तीन सौ रूपए पहली बार मागे किन्तु उन्होंने बीस रूपए कम ही दिए।" मैं ने उन्हें दो सौ अस्सी रुपये दिए उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की, बीस रूपए कम दिए तो इसकी चर्चा उन्होंने बीस स्थानों पर की।

मैं ने अपने जीवन में अनेकानेक भलाइयाँ की हैं। एक बार एक सज्जन की भलाई करने में परिस्थितियों में चूक गया। इस पर मैं आलोचना का पात्र बन गया। मेरे द्वारा की गई अनगिनत भलाइयाँ धूलधूसरित हो गई।

मैं ने जीवन भर ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ काम किया। एक बार एक काम में मुझसे अनजाने में भूल हो गई। इस पर मेरी बड़ी

भर्त्सना की गई।

मैं एक छोटा सा इन्सान हूँ। एकाध भूल मुझसे हो सकती है। मनुष्य के सोचने का ढंग विचित्र है। हजारों सत्कर्म ^{एक} भूल पर पर्दा नहीं डाल सकते। अनेक अच्छे कर्म के बावजूद भी मैं क्षमा का पात्र नहीं बन सकता। यह कैसी विडम्बना है !

एक बार एक सज्जन ने मेरी पत्नी का नाम लेकर मुझसे पूछा, "अमुक आपकी पत्नी है।" मैं ने उत्तर दिया, "जी नहीं। मैं अमुक का पति हूँ।" उन्होंने कहा, "बात तो एक ही हुई।" मैं ने कहा "जी नहीं। आपकी बात में पत्नी का प्राधान्य है और मेरी बात में मेरी प्रधानता है।"

प्राचीन काल में संस्कृत भारत की बोलचाल की भाषा थी। एक नर्तकी से उसके द्वार पर उड़े होकर एक भिखारी ने पूछा,

"या पाणिग्रहलालिता सुसरला तन्वी सुवशोद्भवा
गौरी स्पर्शसुखावहा नित्यं मनोहारिणी
सा केनापहृता तया विरहितो गन्तुं न शक्नोमहम्"

अर्थात्

"जिसे मैं ने हाथ से पकड़-पकड़ पर लालन-पालन किया, जो सीधी थी, जो दुबली-पतली थी, जो अच्छे वंश में उत्पन्न हुई थी, जो गोरे रंग की थी, जिसे स्पर्श करने से ही सुख मिलता था, जो नित्य मन को हरण करने वाली थी उसे किसी ने चुरा ली है और उसके बिना मैं चल नहीं सकता।" नर्तकी ने भिखारी से पूछा, "रे ! रे ! भिक्षुक किं तव गेहिणी।" अर्थात् नर्तकी ने भिखारी से पूछा, "क्या इन गुणों से मुक्त तुम्हारी प्राणवल्लभा पत्नी थी।" भिखारी ने उत्तर दिया, "नहिं नहिं प्राणप्रिया यिष्टिका।" अर्थात् भिखारी ने कहा, इन गुणों

से युक्त मेरी प्राणप्यारी छड़ी थी।" भिखारी के कहने का तात्पर्य था, "जिस छड़ी को मैं हाथ से पकड़-पकड़ कर बच्चे की तरह पाला-पोसा था, जो सीधी थी, जो पतली थी, जो अच्छे वंश में उत्पन्न हुई थी अर्थात् बेंत की छड़ी थी, जो उजले रंग की थी, जिसे छूने से ही सुख मिलता था, जो नित्य मन को हरण करने वाली थी उसे अर्थात् इन गुणों से युक्त छड़ी को किसी ने चुरा ली है और उस छड़ी के बिना मैं चल नहीं सकता। वह मेरी नर्तकी एवं भिखारी के सोचने का ढंग भिन्न-भिन्न था। प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि एवं अपने संस्कार के अनुसार किसी चीज को सोचता है, समझता है।

एक नर्तकी के घर के सामने एक साधु की झोपड़ी थी। साधु नर्तकी के विषय में सोचता था कि वह कितनी महान है कि उसके पास सैकड़ों लोग जाते हैं। नर्तकी सोचती थी कि साधु कितना महान है कि उसके निकट अनेकानेक व्यक्ति जाते हैं। दोनों के सोचने का ढंग अलग-अलग है। साधु साधु होकर भी मन ही मन नर्तकी के कर्म की सराहना करता था, किन्तु नर्तकी नर्तकी होकर भी मन ही मन साधु के कर्म का सहाहना करती थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब दोनों मरे होंगे तो साधु को "नरक" मिला होगा और नर्तकी को "स्वर्ग"।

एक लड़के ने अपने वर्ग में आठवां स्थान पाया। उसने पिता ने कहा, "तुमसे सात लड़के उपर हैं।" लड़के ने उत्तर दिया, "पिता जी मुझसे तैंतीस लड़के नीचे भी तो हैं अर्थात् तैंतीस को मुझसे कम अंक आए हैं।" पिता और पुत्र के सोचने का ढंग अलग-अलग था।

एक चित्त ने बड़ी ।
विचित्र ब्रासली सही ॥
प्रियतमा के हाथों से ।
विचित्र मोड़ वह गही ॥

प्रियतमा की चेतना ने ।
प्रिय के चपल चित्त को ॥
भावना से छीन कर ।
दिखा दी राह रिक्त को ॥

ने तभी कही ।
लगा के चपल चेतना को ॥
क्या कभी सही हो तुम ।
वियोग व्यग्र वेदना को ॥

कर्म की दीवार में ।
सुद कैद हो तू चेतना ॥
चाहती हो प्रीत को भी ।
बंधनों में बाधना ॥

कुछ तो सुनो प्रीत मेरी ।
रूठ ना हो इस तरह ॥
चाहती हो जानना ।
हर बात की असली वजह ॥

क्या कभी मुसकाई हो तुम ।
आज के परिवेश में ॥
कदम क्यों मिटि मुड़े थे ।
प्रिय के सन्देश में ॥

चाहती हो प्रीत तू ।
जीना इसी परिवेश में ॥
चेतना को साथ रखो
भावना के देश में ॥

- दुर्भाग्य -

नरेन्द्र कुमार ^{सिंह} "नाहर"

कमला सामान्य परिवार की एक पूबसूरत नव युवती थी। जितना सुन्दर वह देखने में थी उतना ही नेक उसका स्वभाव भी था। सुन्दरता और शालीनता की प्रतिमूर्ति थी वह। इन दोनों का मणिकोंक संयोग विरले ही होता है। कमला के माता-पिता साधारण तौर से परिवार की गाड़ी खींच रहे थे। जब बेटी जवान हो जाती है तो उसके ब्याह की चिन्ता माँ-बाप को बेहद सताने लगती है। कमला के माँ-बाप भी चिन्ता की इस तपिश से बेतरह ग्रस्त थे। उसके ब्याह की बात-चित करने उसके पिताजी दूर-दूर स्थानों तक जाते, किन्तु निराशा की तलहटी मिलती, विचारों के शुष्क रेगिस्तान मिलते। पछाड़ खाकर उन्हें लौट आना पड़ता। दोबारा जाने की हिम्मत नहीं जुटती। किन्तु, दृढ़ता सारी विपदाओं को जीत लेती है। अन्ततः कमला की शादी किसी अच्छे घराने में कर दी गयी। उसके पति किसी कार्यालय में सहायक के पद पर थे। अच्छा पाता-पिता जीवन था। आमदनी अच्छी थी। अब कमला के दिन सुख से गुजर रहे थे। शादी के एक वर्ष बाद उसे चाँद-सा सुन्दर एक लड़का भी हुआ। इस प्रकार उसकी जिन्दगी के धरातल पर सुख की धवल चाँदनी बिछी थी। परन्तु, चाँदनी की ओट से भीषण दुःख की तमपूर्ण बदली भी झाँक रही थी। किस क्षण किसकी जिन्दगी में क्या घट जायेगा-यह कहना बड़ी मुश्किल बात है। शादी के मात्र तीन वर्ष व्यतीत हुए थे। काल के कठोर हाथों ने कमला के पति को उससे सदा के लिए छीन लिया। अब कमला विधवा हो गयी। उसका समस्त जीवन दुःख की भयंकरता का अहसास कर चीत्कार कर उठा।

उसके जीवन-पथ पर काटे विकसित गये, निर्धारित ने उसे जिन्दगी की वास्तविक कदमों का स्वाद लेने को मजबूर कर दिया ।

बेचारी कमला पति-वियोग में दिन-रात रोती-करोती रहती थी । स्वजन सान्त्वना के लो-चोर शब्दों को तो जानते, किन्तु कोई उसके जीवन-दुःख को बाँटने के लिए प्रस्तुत नहीं होता । अब उसकी जिन्दगी में आशा की अगर कोई किरण थी तो वह था उसका एक मात्र बेटा- हरनाथ । हरनाथ के लिए ही कमला ने अपनी जिन्दगी को संघर्षमय बनाना कबूल कर लिया । जवाबदेही का विवेक सर्वदा कर्म करने की महती प्रेरणा देता है, सही मार्ग-प्रदर्शन करता है । कमला के साथ भी यही हुआ ।

चूँकि कमला पढ़ी-लिखी नहीं थी, इसलिए उसे पति के निधन के आधार पर कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती । इसके अब तब उसके पति के अंश विधवा ने भी कार्यालय के विगड़ते महौल को देखकर बपरासीगारी नहीं करने की नेक सलाह दी । फलतः कमला हरनाथ को लेकर अपने पति के घर- गाँव में एक झुंटा में रहने लगी । चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण था । यहाँ उसे पाने-पीने का तकलीफ नहीं थी, किन्तु स्वजनों का घोर आश्रित व्यवहार उसके लिए काटे की चुभन के समान था । लेकिन, जो अति-तथाय दुःख की निर्मल बोट से बाहर होकर उस पर व्यवहार की आश्रितता के जहर का उतना असर नहीं पड़ता । सदैव सहे नारी पाषाण की तरह कठोर हो जाती है और फिर उस पर दुःख के वर्षा-पानी, आधी-तूफानों का कोई आस असर दिखाई नहीं पड़ता । कमला के जीवन में भी दुःख की झलक अब भयावह नहीं लाती । मानों कमला ने दुःख से सम्झौता कर लिया हो, अपना जीवन-साथी बना लिया हो ।

हरनाथ अब काफी बड़ा हो गया । उसने स्नातक की डिग्री

प्राप्त कर ली। उसमें चिकनी की जवाबदेही को अच्छी तरह निभाने की क्षमता आ गयी थी। कमला ने हरनाथ की शादी के लिए आये कई रिश्ते ठुकरा दिये, क्योंकि वह चाहती थी कि जबतक हरनाथ को कोई अच्छी नौकरी न मिल जाये, वह उसकी शादी तय न करें। उधर माँ के प्रति हरनाथ का व्यवहार भी अत्यन्त संयत, विनम्र तथा शिष्ट था। वह कमला से एक दिन कह रहा था - "माँ ! तुमने मेरी यादगिरि न जाने कितनी यातनाएँ सही, कितने दुःख सहे। पिताजी के बल बचने के परचास तुमने मुझे पुरुष की तरह पाला-पोसा, पढ़ाया-लिखाया, कर्म करने की महान प्रेरणा दी और दी उत्तरदायित्व निभाने की सूझ । सचमुच, माँ, तुम धन्य हो, साक्षात् देवी हो। अगर मैं तुम्हारा एक भी कर्ज चुका सका तो स्वयं को सौभाग्यशाली समझूँगा।" यह कहकर हरनाथ कमला के चरणों से लिपट जाता। कमला की आँखों में आँसू आ गये और उसने हरनाथ को उठाकर गले से लगा लिया ।

सच ही कहा गया है कि विपत्ति कभी अकेली नहीं आती। कमला की ज्वलती हुई आशाओं के फूल पर एक बार पुनः तुफानपात होता है। यह देखकर कमला की आँखों के आगे अंधेरा छा गया और गिरकर वह बेहोश हो गयी ।

एक दिन की बात है। शाम का वक्त था। हरनाथ नौकरी की तलाश में शहर से घूमकर वापिस आया था। माँ ! माँ ! चिल्लाता हुआ कुटिया के भीतर उसने प्रवेश किया। कमला उसकी आवाज सुनकर उसके पास आयी। हरनाथ ने माँ से कहा मेरी तबियत ठीक नहीं लग रही है। सचमुच कमला ने देखा कि हरनाथ तेज ज्वर से पीड़ित है। तुरन्त कमला ने अपने बेटे को छाट पर सुलाकर बैद्यजी को बुला लाया। लेकिन, कोई दवा काम नहीं आयी। ज्वर बढ़ता ही गया। हरनाथ की तबियत दिनानुदिन बढ़तर होती गयी। कमला के पास इतने पैसे नहीं थे कि

वह शहर जाकर बेटे का ब्रूलाज करवा पाती। उसने द्वार-द्वार घूमकर अपने दुःख हरने की लोगों से फरियाद की, किन्तु किसी के कानों पर धुन नहीं रेंगी। फलतः हरनाथ ज्वर की अधिकता में काफी बड़बड़ाने लगा और कुछ दिनों के पश्चात् विधिहीन हो गया।

कमला सारे दुःखों को मूक होकर सहती रही। अब उसने किसी से फरियाद नहीं की। धीरे-धीरे हरनाथ अपने पागलपन की पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। कभी जोर-जोर से चिल्लाता, कभी राजनीति की बड़ी-बड़ी बातें करता। एक दिन अपनी इसी मानसिक विक्षिप्तता में आकर हरनाथ ने अपनी डिग्रियों के सारे कागजात टुकड़े-टुकड़े कर समीपस्थ कुँए की अतल गहराई में डाल दिये। कमला बूढ़ी हो चुकी थी। दुःख के कष्टकाकीर्ण पथ पर चलते-चलते अब उसमें न तो जीवन जीने की चाह थी और न सामर्थ्य ही। फिर भी साहस बटोरकर कुँए के पास जाकर उसने देखा कि हरनाथ की डिग्रियों के टुकड़े कुँए की ^{सिद्ध} अतलता में तैर रहे हैं। हरनाथ पास ही उड़ा हाथ उठाकर अर्द्धनग्न अवस्था में अपनी डिग्रियों की मनहूसता पर चिल्ला रहा था।

कमला चुपचाप अपनी कुटिया में लौट आयी। वह अत्यन्त थकी हारी प्रतीत हो रही थी। छोट पर लेटते ही उसने बड़बड़ाया कि मेरे नसीब की तस्वीर प्रभु ने दुःख की काली रेखाओं से रची थी। कभी भी उसे मेरे दुर्भाग्य पर तरस नहीं आयी। यह कहकर उसने करवट बदली और सदा के लिए आँखें बंद कर लीं।

= = : : = =

हिन्दी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरो कर भारत माता के लिए सुन्दर हार का सृजन करेगी।

- डॉ० जाकिर हुसैन -

- मानव वेदना -

- सुमन टिग्गा -

प्रकट न हो कहीं, मन की वेदना
इसलिए वह ओजली हँसी हँसता है।
कहीं आँखों से आँसू न छलक जाए
इसलिए वह पलके उठाता, झुकाता है।

मन में हजारों दर्द समेटे वह
जात सुरों में गाता गुनगुनाता है
कहीं उसके मन की टीस प्रकट न हो
वह वेवजह हँसता मुस्काता है।

जब दुःख हृदय से गुजर जाए
वह अपना चेहरा बनाता बिगाड़ता है
लाख गम सहकर भी तो जीना है
यही सोचकर वह फिर से जिंदगी संवरता है
होठों में हँसी लिए, वह अपने
अथाह गम के सागर में, गीते लगाता है
गम थे इतने कि ढिल, तार-तार हो गया
फिर दिल के उन्हीं तारों को, वह सीता है।

आँसू हैं हमारे कि छलक ही जाते हैं
आँसूओं के मोती हम धागे में पिरोते हैं
जब गम सहने की शक्ति खत्म हो जाए
हम बिना कहे इस दुनिया से गुजर जाते हैं।

= = : : = =

हिन्दी, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है।

- डॉ० प्रभाकर माचवे । -

केन्द्रीय असेनिक सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1965 की
एक झलकी

एम0 एन0 हक,
लेजा अधिकारी प्रशासन

स्वतंत्रता के बाद जब संविधान का स्वरूप तैयार किया जाने लगा तो यह महसूस किया गया कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों की असेनिक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को संविधानिक सुरक्षा प्रदान की जाय। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए संविधान में धारा 311 की व्यवस्था रखी गयी जिसके अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों की असेनिक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की पदच्युति, उन्हें नौकरी से हटाये जाने और उनके पद में कमी लाने के संबंध में दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गयी :-

§ 118 केन्द्र या राज्य सरकार के असेनिक सेवाओं में कार्यरत किसी भी कर्मचारी की पदच्युति या उसे नौकरी से हटाने का आदेश ऐसे अधिकारी के द्वारा नहीं दिया जा सकता है जो उस अधिकारी का अधीनस्थ है जिसके द्वारा उस व्यक्ति की नियुक्ति की गयी।

§ 118 किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिना उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच किये, तो पदच्युत किया जा सकता है, न उसे नौकरी से हटाया जा सकता है, न उसके पद में कमी ही लाई जा सकती है जबतक कि उसे अभियुक्त कर्मचारी को उस पर लगाये गये आरोपों को जांच के दौरान उसे बता नहीं दिया जाय और जबतक कि उसे उसपर लगाये गये आरोपों के संबंध में सुने जाने का यथोचित अवसर नहीं दिया जाय।

संविधान की इसी धारा 311 के आधार पर सरकार ने कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु नियम और प्रक्रिया बनाये हैं जिसे केन्द्रीय असेनिक सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम, 1965 का नाम दिया गया है। इसकी नियमावली में बहुत ही विस्तार पूर्वक निम्नलिखित बातों के संबंध में चर्चा की गयी है।

1. सरकारी कर्मचारियों का वर्गीकरण जिन पर यह नियम लागू होगा नियम 4 से 7
2. वे परिस्थितियाँ जिनमें किसी कर्मचारी को नौकरी से निलम्बित किया जा सकता है नियम 10
3. दण्ड स्वरूप जो किसी कर्मचारी पर समुचित और पर्याप्त कारण पर अधिरोपित हो सकते हैं नियम 11
4. प्राधिकारी जो इस्तरह का दण्ड देने के लिये सक्षम हैं नियम 12 और एम0एड0ओ0 भाग दो अनुभाग "ई" भी देखें
5. प्राधिकारी जो अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ कराने के लिए सक्षम हैं नियम 13
6. प्रक्रिया जिसे अपनाई जानी है, जाँच की क्रिया और स्वरूप जिनका दण्ड देने से पहले पालन करना है।
7. दण्ड के आदेश के विरुद्ध उच्चतर प्राधिकारी के सम्मुख अपील करने के अवसर और उस अवधि की सीमा जिसके अन्दर अपील की जा सकती है। ऐसी अपील का स्वरूप और उसकी सूची नियम 22 से 29

नियम का कार्य क्षेत्र

केन्द्रीय असेनिक सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1965 के नियम 11 में उन दण्डों के बारे में उल्लेख है जो सक्षम प्राधिकारी नियम 14 से 16 तक में बताये गये तरीकों को अपनाने के बाद अधिरोपित कर सकते हैं। नियम 11 के 1 से 14 तक में

उल्लिखित दण्डों को मामूली दण्ड कहा जाता है जो जांच की औपचारिकता में गये बिना अधिरोपित किये जा सकते हैं। नियम 16॥

नियम 11 के ॥१८॥ से ॥१४॥ तक में उल्लिखित दण्डों को बड़े दण्ड का नाम दिया गया है जो नियम 14 में बताये गये विधि को अपनाने के पश्चात् ही अधिरोपित किये जा सकते हैं ।

किसी असालत के द्वारा फौजदारी मुकदमे में दण्ड दिये जाने पर भी बड़े या छोटे दण्ड अधिरोपित किये जा सकते हैं या नियम 19 में बताई गयी चंद असाधारण परिस्थितियों में भी इस तरह के दण्ड दिये जा सकते हैं ।

नियम 11 में उल्लिखित दण्डों को अधिरोपित करने के लिये कौन प्राधिकारी सक्षम होंगे उसे नियम 12 में उल्लेख किया गया है। वह भारत के राष्ट्रपति, दूसरे नियुक्ति प्राधिकारी और कार्यालय अध्यक्ष होंगे। बड़े दण्ड केवल नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा ही अधिरोपित किए जा सकते हैं या ऐसे प्राधिकारी के द्वारा जो नियुक्ति प्राधिकारी से वरिष्ठ है ।

यदि बड़ा दण्ड देने का बिचार हो तो नियम 14 के अंतर्गत और यदि छोटा दण्ड देने का बिचार हो तो नियम 16॥1॥ ॥बी॥ और ॥१-ए॥ के अंतर्गत जांच प्रारम्भ किये जायेंगे। जहां दो या दो से अधिक अभियुक्त कर्मचारी हों वहां नियम 18 के अंतर्गत सामान्य जांच की व्यवस्था की जा सकती है।

यदि एक बार अनुशासनिक कार्रवाई का निर्णय ले लिया गया तो सक्षम प्राधिकारी ॥नियम 10 में बताये गये॥ को यह बिचारना होगा कि क्या अभियुक्त कर्मचारी को निलंबित करना आवश्यक है। निर्णय तक पहुंचने के लिए लोक हित के तथ्य को निर्देशक बनाना होगा।

नियम 10 और भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों से इस संबंध में सहायता ली जा सकती है।

कुछ परिस्थितियों में जैसा कि नियम 10(2) में उल्लेख है अभियुक्त कर्मचारी को निलम्बित करना अनिवार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई सरकारी कर्मचारी फौजदारी या किसी दूसरे आरोप पर 48 घंटे से अधिक पुलिस की हिरासत में रोक लिया जाता है तब उसे निलम्बित करना अनिवार्य हो जाता है।

जांच की विभिन्न अवस्थाएँ।

नियम 14 के अंतर्गत जांच की साधारणतः 6 अवस्थाएँ हैं:-

1. अनुशासनिक प्राधिकारी एक आरोप पत्र तैयार करता है और उसे अभियुक्त कर्मचारी को सुपुर्द करता है। उसे अभियुक्त कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये हर आरोप का पूर्ण विवरण उस आरोप पत्र में होता है। उसके साथ-साथ मौखिक या कागजी प्रमाणों की सूची भी होती है और बचाव के लिए लिखित तौर पर कागजात दाखिल करने का भी समुचित अवसर उस अभियुक्त कर्मचारी को दिया जाता है।
2. दूसरी अवस्था में अनुशासनिक प्राधिकारी, जांच अधिकारी और प्रस्तुतीकारी अधिकारी की नियुक्ति करता है और कुल कागजात जांच अधिकारी के हवाले कर देता है।
- 3 से 5 तक की अवस्था- जांच अधिकारी तब अभियुक्त कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच का काम प्रारम्भ करता है और उस से यह पूछता है कि क्या वह उन आरोपों को स्वीकार करता है। यदि अभियुक्त कर्मचारी हाँ में उत्तर देता है तो आगे की कार्रवाई यहीं पर समाप्त हो जाती है। जांच अधिकारी केवल उसे लिखित रूप देकर अनुशासनिक प्राधिकारी को अग्रोषित कर देता है। जब

अभियुक्त कर्मचारी अपने उपर लगाये गये आरोपों को मानने से इन्कार करता है तो जांच की आगे की कार्रवाई नियम 14 के उप-नियम 11 से § 22 में उल्लिखित विधि के अनुसार जारी रहती है। अभियुक्त कर्मचारी को यह भी अवसर दिया जाता है कि यदि वह चाहे तो अपने बचाव के लिये दूसरे सरकारी कर्मचारी की सहायता ले सकता है।

अवस्था § 6 :- इसके बाद जांच अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करता है और हर आरोप के संबंध में अलग-अलग अपना निष्कर्ष दर्ज करता है और बिलकुल स्पष्ट रूप से यह बताता है कि कौन-कौन से आरोप प्रमाणित हो सके। उसके बाद रिपोर्ट और उससे सम्बन्धित तमाम कागजात अनुशासनिक प्राधिकारी को अर्पित कर देता है नियम 14 का उप-नियम 23

जांच का कानूनी पहलू

हालाँकि अनुशासनिक कार्रवाई में दण्डनीय परीक्षण की कटुता नहीं है और इसके लिए ऐसे प्रमाणों की जिसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं होने की ही आवश्यकता होती है फिर भी किसी अभियुक्त कर्मचारी को केवल संदेह के आधार पर ही दण्ड नहीं दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जांच अधिकारी के परीक्षण का निष्कर्ष केवल किस्से कहानी पर ही नहीं, अपितु ऐसे तथ्यों पर आधारित होना चाहिए जो प्रमाणित हों।

जांच करने वाले अधिकारी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह यह बताये कि अभियुक्त कर्मचारी को क्या सजा मिलनी चाहिए बल्कि उसे केवल यह बताना है कि अभियुक्त कर्मचारी पर लगाए गए आरोप प्रमाणित हुये या नहीं। अनुशासनिक प्राधिकारी इस बात के लिये स्वतंत्र होगा कि वह जो दण्ड ~~द्विज~~

§नियम 11 में दर्ज§ चाहे अभियुक्त कर्मचारी को दे। वह इस बात के लिए भी स्वतंत्र होगा कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट को रद्द करदे पर ऐसा करते समय उसे उन तथ्यों का उल्लेख करना होगा जिस के आधार पर उसने जांच अधिकारी की रिपोर्ट को रद्द किया है।

हालाँकि इस बात को बार-बार स्पष्ट किया जा चुका है कि विभागीय जांच कानूनी अदालत नहीं है फिर भी इस संदर्भ में जो विभिन्न स्पष्टीकरण और प्रशासनिक अनुदेश सरकार के द्वारा जारी किए गये हैं उसके कारण यह अनिवार्य हो गया है कि जांच के दौरान कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाय। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के दौरान समय-समय पर अदालतों ने जो फैसले दिये हैं उस से भी एक अच्छी ठासी कानूनी पृष्ठभूमि तैयारी हो गयी है।

संविधान की धारा 311 के अंतर्गत अभियुक्त कर्मचारी को अपनी सुरक्षा के लिए जांच की हर अवस्था में समुचित अवसर देना है और उसे तमाम आरोपों और गवाहों के संबंध में भी बताया जाना है। यह भी अनिवार्य है कि जो आदेश दिए जाय वह स्पेसिफिक §specific§ आदेश हों अर्थात् जो भी निर्णय या विनिर्णय लिए गए हों, आदेश में उसका स्पष्ट कारण भी उल्लेख हो। कहने का उद्देश्य यह है कि यदि अभियुक्त कर्मचारी के द्वारा मांगे गये कागजात को देने से इन्कार कर दिया गया हो, मुकदमे की सुनवाई स्थगित करने के उसके अनुरोध को ठुकरा दिया गया हो या उसके द्वारा चुने गये बचाव सहायक को छुट्टी नहीं दी गयी हो तब उस जांच अधिकारी को ऐसा करने का कारण स्पष्ट शब्दों में अपने आदेश में लिखित तौर पर दर्ज करना होगा। उसी तरह जांच अधिकारी या अनुशासनिक प्राधिकारी दूसरी अवस्था की कार्रवाई उस समय तक प्रारम्भ नहीं कर सकते जबतक कि अभियुक्त कर्मचारी को

उत्तर के लिए दिया गया समय समाप्त नहीं हो जाता है या जब तक कि उसका उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता है।

ऐसे मामलों में जहां अभियुक्त कर्मचारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति या लोक आयोग के द्वारा हुई है उनको दण्ड उन प्राधिकारियों से परामर्श के बाद ही दिया जा सकता है।

जांच अधिकारी की रिपोर्ट- उस पर विचार और कार्रवाई

जांच अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर अनुशासनिक प्राधिकारी जिसने जांच के काम को प्रारम्भ कराया या छोटे दण्ड के लिए नियम 16 और बड़े दण्ड के लिए नियम 15 के अंतर्गत कार्रवाई करता है। यदि कोई अनुशासनिक प्राधिकारी बड़ा दण्ड देने के लिए सक्षम नहीं है तो वह जांच रिपोर्ट को अपने से उच्चतर अनुशासनिक प्राधिकारी को उसपर समुचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर देता है। यह बात ध्यान देने की है कि जांच रिपोर्ट को वरिष्ठ अनुशासनिक प्राधिकारी के द्वारा यह कहकर कि इस मामले में छोटा दण्ड देना है अपने से निम्न अनुशासनिक प्राधिकारी को नहीं अग्रेषित किया जा सकता है।

यदि अनुशासनिक प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्ष से सहमत नहीं है तो इसका कारण बताते हुए वह जांच अधिकारी को फिर से जांच के लिए रिपोर्ट को लौटा सकता है।

अपील और पुनरीक्षण

कोई भी अनुशासनिक प्राधिकारी जब कोई दण्डात्मक कार्रवाई करता है, या दण्ड देता है या निलम्बन का आदेश देता है तो वह पहले से ही यह आशा करता है कि अभियुक्त कर्मचारी

इसके विरुद्ध उच्चतर प्राधिकारी के सम्मुख अपील करेगा। केन्द्रीय औसैनिक सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1965 के नियम 22 से 29 तक में इस संबंध में उल्लेख किया गया है। इसी जगह इसका भी उल्लेख मिलता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी के किन आदेशों के विरुद्ध अपील दिकयी जा सकती है और किन आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं दिकयी जा सकती है। इन्हीं नियमों में समय और उसकी सीमा, जिसके अंदर अपील की जा सकती है, अपील का स्वरूप और सूची, अपील की सुनवाई और अपील प्राधिकारी के आदेशों को कार्यान्वित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है।

राष्ट्रपति के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं है, किन्तु उसके सम्मुख पुनरीक्षण के लिए याचिका प्रस्तुत की जा सकती है जिसपर कार्रवाई बिलकुल अपील की तरह ही होती है। नियम 29॥

अपील पर बिचार जांच की कार्रवाई के अभिलेख पर आधारित होता है और यह देखा जाता है कि दण्डित कर्मचारी को उचित अवसर देते समय इन्साफ से काम लिया गया है या नहीं और जो दण्ड अधिरोपित किया गया है, निलम्बन का जो आदेश दिया गया है वह न्यायपूर्ण है अथवा नहीं। अपील अधिकारी के निर्देश को वही प्राधिकारी कार्यान्वित करता है जिसने प्रथमतः दण्ड अधिरोपित किया है।

केन्द्रीय औसैनिक सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1965 में अपील के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पुनरीक्षण की भी व्यवस्था रखी गयी है। नियम 14 से 16 तक में किसी निश्चित प्राधिकारी के द्वारा पुनरीक्षण का अधिकार दिया गया है। उदाहरण स्वरूप भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में काम करने वालों के लिए राष्ट्रपति या भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक,

पोस्ट और तार विभाग में काम करने वालों के लिए पोस्ट और तार मंडल, दूसरे विभागों के लिए विभागीय अध्यक्ष पुनरीक्षण कर सकते हैं।

एक पुनरीक्षण प्राधिकारी जब अपना आदेश दे देता है तो दुबारा अपने द्वारा दिए गए आदेश का पुनरीक्षण नहीं कर सकता है। किन्तु एक वरिष्ठ पुनरीक्षण प्राधिकारी निम्न पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेशों का पुनरीक्षण कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी आदेश का, यहां तक कि ^{अपने} द्वारा दिए गए पुनरीक्षण के आदेश का भी पुनरीक्षण कर सकते हैं।

तमाम तथ्यों पर विचार करते हुए और मामले की परिस्थितियों और दर्ज किए गए प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण प्राधिकारी निम्नलिखित आदेशों में से कोई भी आदेश दे सकता है:-

- ॥क॥ दिए गए आदेशों को रद्द या संशोधित कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है।
- ॥ख॥ दिए गए दण्ड के आदेश को बढ़ा या घटा सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है या अपनी ओर से कोई भी दण्ड अधिरोपित कर सकता है।
- ॥ग॥ जिस प्राधिकारी ने आदेश दिया है उसे लौटा सकता है या किसी दूसरे अधिकारी को पुनः जांच के लिए भेज सकता है।
- ॥घ॥ कोई दूसरा आदेश जिसे वह उक्त समझता है, दे सकता है।

यदि पुनरीक्षण प्राधिकारी दण्ड को बढ़ाने का प्रस्ताव रखता है तो उस सरकारी कर्मचारी को प्रस्तावित दण्ड की कार्रवाई के विरुद्ध अभिवेदन देने का समुचित अवसर देना होगा। यदि प्रस्तावित दण्ड के बढ़ाने का मामला बड़े दण्ड के वर्ग में आता है

तो उस सरकारी कर्मचारी को समुचित अवसर देना होगा और मौखिक जांच की भी व्यवस्था करनी होगी। उसे उस प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध "कारण बताओ" का भी अवसर देना होगा।

पुनरीक्षण के आवेदन पर कार्रवाई अपील की कार्रवाई की ही तरह होती है।

- - - : : : - - -

- अलविदा एक्सप्रेस -

पियुष ओझा

चन्द लम्हों में मैंने,
जिंदगी है जानी,
हकीकत मुश्किलें हैं यहाँ,
ख्वाब सुशियाँ, वे बात मानी।

उधार की ओढ़ी है मुस्कुराहटें,
यहाँ सभी ने,
भाड़े पर ली है शरारतें,
नकद केवल मिलती है, कराहते या शामतें !

भीड़ उड़ी है इस जहान में,
मौत के इंतजार में,
किसी ने गुजारी है जिंदगी कार में,
तो सिकी ने ऐल-अलिहान में !

किसी ने बनाई आशियाँ,
तो किसी ने ले ली बीमा-पॉलिशियाँ,
जन्मोत्तम वक्त गुजारा इसी में सभी ने,
कहा सभी किसी ने,

लो, आ गई है अलविदा-एक्सप्रेस,
चढ़ जाओ बेटिकट,
बगैर सामान के,
इसमें नहीं बटे हैं कोई नए टैक्स !

- एक विनती -

- सुमन टिग्गा -

ओ माझी
 क्षपणी नैया में थोड़ा सा
 ठाँव दे दो मुझे
 गहरी नदिया है, और नाव
 तुम्हारी है पुरानी
 कहो तो तुम्हारी नाव
 गुलमोहर से सजा दूँ मैं
 साँझ हो चली
 जाना भी है उस पार
 अधिरी और तूफानी रात है
 तुमको किनारा सूझेगा नहीं
 कहो तो तुम्हारी पतवार
 कुछ दूर तक चला दूँ मैं
 अब तो किनारा आ पहुँचा
 नाव किनारे लगा दो
 पता नहीं अब फिर हम
 कभी मिले न मिले
 एक विनती और है
 तुम कहो तो,
 पाँवों में तुम्हारे लाली
 मेहदी की लगा दूँ मैं ।

“ - बिहार केशरी - डा० श्रीकृष्ण सिंह - ”

- श्री नुमान अख्तर -
पी०ए०ओ० अनुभाग

बिहार केशरी श्रीकृष्ण सिंह जिन्हें लोग आदर और
प्यार से श्रीबाबू भी कहते हैं, उनका जन्म मुंगेर जिले के बरबीसा
थाना के भाउर गांव में 21 अक्टूबर 1887 को हुआ था ।
श्रीबाबू की प्रारम्भिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। प्राइमरी
के बाद मुंगेर स्थित जिला स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास करने के
बाद 1908 में पटना कालेज के छात्र हुए ।

स्कूल के दिनों में ही श्रीबाबू का सम्पर्क एक बंगाली
शिक्षक से हुआ, जिनका संबंध क्रांतिकारियों से था। उन्होंने
श्रीबाबू की तेजस्विता देखकर उनमें राष्ट्र प्रेम का भाव भरा, जिसका
ऐसा प्रभाव हुआ कि उसी आयु में श्रीबाबू ने मुंगेर की गंगा में
खड़े होकर एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में कृपाण लेकर यह
संकल्प किया कि ताजिन्दगी देश की सेवा करता रहूंगा ।
पटना कालेज में उनका सम्पर्क क्षेत्र बढ़ा। उन दिनों में
बंग-भंग आन्दोलन तथा छात्र-संघ का संगठन जोरों से चल रहा था।
वे इन दोनों कार्यों में सम्मिलित हो गये ।

श्री बाबू जब विद्यार्थी थे, उन्हीं दिनों दिल्ली-दरबार
के बाद 1911-12 में जार्ज पंचम ने पटना आकर बिहार को बंगाल

- - - :: :: - - -

हिन्दी विश्व की सर्वाधिक सम्पन्न भाषा संस्कृत की ज्येष्ठ
पुत्री है।

- आचार्य बिनोदा भावे -

से अलग करने की घोषणा की जिसकी भरपूर सहायता की गई और सम्राट की काफी आवभगत भी हुई। सम्राट के लिए गंगा में नौका जुलूस निकालने का आयोजन किया गया जिसे देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। परन्तु गंगा के किनारे होने पर भी श्रीबाबू कालेज स्थित अपने मिन्टो हास्टल के कमरे से बाहर नहीं निकले। जब साथियों ने पूछा तो उन्होंने जवाबन कहा - "जिसने भारत को गुलाम बनाकर रखा है, उस सम्राट का मैं दर्शन करूँ।" यह थी उनकी प्रारम्भिक दृढ़ता।

पटना कालेज से एम०ए० और बी०एल० परीक्षाएँ पास कर श्रीबाबू ने 1915 में जिला-मुख्यालय भुगिर में वकालत शुरू की। कुछ ही दिनों में वकालत में इनकी तूती बोलने लगी। 1916 में श्रीबाबू ने पहली बार महात्मा गांधी के दर्शन किये और उनसे इतना प्रभावित हुए कि गांधीजी के एक-एक शब्द को तौलने और अपने जीवन में उतारने लगे। 1921 में गांधी जी ने जब "असहयोग आन्दोलन" का नारा दिया और तमाम वकीलों से अपनी वकालत छोड़ने का आह्वान किया तो श्रीबाबू ने श्रद्धा एवं स्वेच्छा से अपनी चलती वकालत को त्याग कर असह आंदोलन में कूद पड़े। इस आंदोलन में वे इतना सक्रिय रहे कि फौरन गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें एक साल की सजा हो गई। इसके पश्चात् उनके जेल जाने का जो सिलसिला जारी हुआ तो आजादी के समय ही जाकर समाप्त हुआ।

1927 में श्रीबाबू प्रान्तीय कौंसिल में स्वराज्य पार्टी के

नेता बने। 2 अप्रैल 1946 को बिहार में अंतरिम सरकार बने पर श्रीबाबू उसे नेता चुने गए और उस दिन से अपनी मृत्यु के समय तक अर्थात् जनवरी 1961 तक उस पद पर बने रहे ।

श्रीबाबू के व्यक्तित्व को पहचानने के लिए हमें उन संदर्भों में जाना होगा, जो किसी व्यक्ति की महानता को परिलक्षित हैं। 1945 में इनकी धर्मपत्नी इलाज के लिए गम्भीर हालत में पटना अस्पताल में भर्ती थीं, तो श्री बाबू स्वयं उनकी सेवा कर रहे थे कि पटना का तात्कालिक अंग्रेज-कमिशनर उन्हें गिरफ्तार करने स्वयं गया । पत्नी की हालत अब-तब बुरी थी। उसने उस परिस्थिति में श्रीबाबू के सामने एक प्रस्ताव रखा "जब-तक आप जेल से बाहर रहेंगे, कोई भी राजनीतिक कार्य नहीं करेंगे।" इस पर श्रीबाबू का जून खोलना स्वाभाविक था। उन्होंने तत्काल कहा - "आप इस दुखद स्थिति में मेरी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं। मुझे पत्नी की मृत्यु की परवाह नहीं है। आप मुझे गिरफ्तार करें" । यद्यपि अंग्रेज कमिशनर को उन्हें गिरफ्तार करने का साहस नहीं हुआ और इस घटना के चन्द मिनट बाद ही पत्नी की मृत्यु हो गई ।

ऐसा ही उदाहरण हमें उनके शासन-काल में देखने को मिला। 1946 में डा० राजेन्द्र प्रसाद ने महात्मा गांधी का वह संदेश दिया जिसमें उन्होंने श्री के०बी० सहाय को मंत्रिमंडल से हटाने का अनुरोध किया था। उस मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेवारी समझकर श्रीबाबू ने स्वयं ही त्याग पत्र देने की पेशकश की थी, जिसे केन्द्रीय नेताओं ने अस्वीकार कर दिया ।

- = - = - = -

हिन्दी भारत की अमर वाणी है, यह स्वतंत्रता और सम्प्रभुता की गरी गिरमा है ।

- माखन लाल चतुर्वेदी -

प्रायः यह कहा जाता है कि श्रीवाबू भावुक थे, कर्णाम से ओत प्रोत । किसी भी भिखारी, अधनगि एवं बीमार को देख कर उनकी आँखों में आँसू तैरने लगते थे। यह उनका मानवोचित गुण था। उनके भाषणों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि वे बुद्ध की कर्णाम से विशेष प्रभावित थे।

भावुक और बौद्धिक होने के साथ-साथ श्रीवाबू में विचित्र प्रशासनिक क्षमता थी, जिसके बलपर उन्होंने इस प्रान्त में स्थिरता पूर्वक लगभग 18 वर्षों ॥ 1937 से 1939 एवं 1946 से 1961 ॥ तक शासन का बागडोर सम्भाली ।

आज बिहार जिन सपूतों को धाद करता है तथा जिनकी विरासत सामने रखता है - उनमें श्रीवाबू प्रथम पंक्ति के हकदार हैं। उन्हें हम मात्र इस प्रान्त की सीमा में कैद कर उनके व्यक्तित्व को बौना नहीं बना सकते, सही माने में वे राष्ट्र नेताओं में थे, जिनपर पूरे राष्ट्र को गर्व है ।

- = - = - = - = -

वर्जनीयो मतिमतां दुर्जनः सख्यवैरयोः ।
शवा भवत्युपघाताय लडन्नपि दशन्नपि ॥

अर्थात्

" बुद्धिमानों को चाहिए कि वह दुर्जन की मित्रता और शत्रुता दोनों से बचे रहें, कुत्ता काटे अथवा प्यार से चाटे, दोनों ही हानिकारक होता है । "

परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते।
स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिस ॥

अर्थात्

" इस परिवर्तनशील संसार में मनुष्य का जन्म और मरण का क्रम तो लगा ही हुआ है किन्तु सफल जन्म उसी का है जिसके उत्पन्न होने से वंश उन्नति को प्राप्त हो । "

- दलता सूरज -

कुशेश्वर पीडित

प्रातः का सूरज कुछ कहता चला गया अपने पथ
 डूब जाओगे तुम भी
 पश्चिम के आते-आते

उग समूह नील गगन में करता विहार
 भंग करता निस्तब्धता भोर के
 जिसका जीवन मुक्त पवन, मुक्त स्वप्न

बढ़ता गया अपने पथ मिल का पत्थर
 बिहार-निहार
 सोचना क्या । कट जाएँ सफर
 चन्द गीत गाते गाते ।

सुखियों में जीना, सुखों की तमन्ना
 ये उठा-पटक, ये भाग-दौड़,
 आडम्बरों का सौदा, मूल्यों का गठजोड़
 दर्भ में मूरत में जाँएँ पर्दा श्याह
 घटा की रात आते आते ।

फूलों का रूपरंग, फूलों का सुवास
 मादकता और आकर्षण
 भ्रमर का बाँकापन, उसकी अलसाई रात
 रस विहार
 मधुमास कहता गया
 मिट जायेगा सब कुछ
 पतझड़ के आते आते ।

- अवधेश कुमार सिन्हा,
अनुभाग अधिकारी जूजी 0 ए 0-18

और फिर एथेन्स का सत्यार्थी की तरह एक और सत्यार्थी निकल पड़ा हर जगह व्याप्त उस सच की खोज में जिसने उसे परेशान कर रखा था वर्षों से । वह महसूस कर रहा था कि यदि जल्द ही इसकी बुनियाद को खोजकर उखाड़ फेंका नहीं गया तो उसका अस्तित्व, उसकी अस्मिता निगल ली जायेगी सच के उस अजगर द्वारा ।

"आप अपना हाथ क्यों काला करते हैं, क्यों करते हैं बेईमानी ? क्या आपकी समाज, सरकार और कानून से डर नहीं लगता 1-"

जिज्ञासा और क्षोभ से पूछा सत्यार्थी ने ।

सरकारी बाबू ने सत्यार्थी को घूरती हुई नजरों से कौतुहलवश नीचे से ऊपर तक देखा । बाबू को उसके शब्द अजूबे लग रहे थे । उन्हें विस्मय हो रहा था कि यह आदमी इसी धरती का है या ----- यदि यहाँ का रहता तो क्या इस धरती के परिवेश से परिचित नहीं होता ।

छैर बाबू ने क्षणभर की चुप्पी को तोड़ते हुए उच्छ्वास के साथ कहा - "हाँ भाई, ठीक कहते हो । हाकिमों की चमक बनी रहे उसके लिए अपना हाथ तो काला करना ही पड़ता है । हम दो शाम की रोटी जुगाड़ करने के लिए बेईमानी करते हैं और हमारे हाकिमों के लिए यह शान-शौकत जुगाड़ करता है । और भैया, समाज सरकार और कानून से डर - - - हूँ हिट्लर सी हंसी चेहरे पर

आती हैं अरे, ये सब पैसों की रोल हैं।”

इसी बीच बाबू सिगरेट सुलगा लेते हैं। क्या जीको हुए सत्यार्थी को लक्ष्य की ओर ले चले हैं - लेकिन बेचारे अपना भी क्या करें ? उन्हें भी अपनी पोजीशन ठीक-ठाक रखने के लिए अपने जेबपैसा आकाओं को पुश तो करना ही पड़ता है। “बाबू सिगरेट की रात झाड़ देते हैं।

सत्यार्थी की गुत्थी और उलझ जाती है। वह सोचते हुए आगे बढ़ जाता है।

“सेठ जी, क्यों करते हैं आप यह सब काका धंधा, मुनाफाखोरी, मिलावट, जमाखोरी - - - ? क्या आपकी भूखे इन्सानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी नहीं है ? समाज, सरकार और कानून से कोई डर नहीं लगता आपको ?” सत्यार्थी सब जानने को आतुर था।

सेठ जी विस्मय और शंका से कुछ पल सत्यार्थी को घूस्ते रहे। कुछ आश्वस्त होकर संयत स्वर में कहने लगे - “भले आदमी, आजकल ये सवाल भी अब कोई मायने रखते हैं ? अरे, नहीं करें यह सब धंधा तो कल ही लोटा-डोरी उठानी पड़ जायेगी और फिर हम भी खड़े होंगे भूखे इन्सानों की लम्बी कतार में। भला, सच्चाई और ईमानदारी से बिजनेस चलता है।”

इसी बीच सेठ जी ने नौकर को ड्रिंक्स लाने का इशारा किया। बातों के क्रम को जारी रखते हुए वे आगे बढ़े - “तुम भूखे इन्सानों से हमदर्दी की बात करते हो ? अरे, पछो उनसे जो गरीबी हटाने और गरीबों का मसीहा बनने का स्वांग रखते हुए उनके शोषण की साजिश करते रहते हैं।”

नौकर झिंक्स रख जाता है। सेठ जी एक ग्लास सत्यार्थी की ओर बढ़ाते हुए दूसरा ग्लास संह से लगाते हैं। एक घूंट अंदर लिये करते हुए सत्यार्थी को उसके खोजी लक्ष्य की ओर संकेत करते हैं -
 "और बंधु, जिस समाज में हर चीज बिबाध जिनिस होने लगी हो, उससे भला डर कैसा ? रही सरकार और कानून की बात तो बाबूजी, इनके चलाने और बनाने वालों को तो हमें ही चलाना पड़ता है ना ।"

झिंक्स का कुछ घूंट लेकर थोड़ा मुस्कराते हैं सेठ जी - "आज इनकी पार्टियों और चुनावों का खर्च तो हमें ही उठाना पड़ता है। अब तुम ही बताओ, क्या सच्चाई और ईमानदारी से किया गया बिजनेस इनका बोझ उठा सकती है ?"

सत्यार्थी और उलझ जाता है। झिंक्स रखते हुए उद्दिग्ग-सा वह दरवाजे के बाहर आ जाता है। चले-चले सोचता है -
 तो क्या बाबू और सेठ जी की बेईमानी और कालाधंधा एक विवशता है ? क्या आज की राजनीति और इसके ठेकेदारों ने ही अपनी हक के लिए आम आदमी की बुनियादी सच्चाई और ईमानदारी का गला घोट दिया है ? - - - "

इसी उधेड़बुन में सत्यार्थी अपनी खोज के अंतिम चरण में नेता जी के दरवाजे पर दस्तक देता है ।

दरवाजा खुलते ही नेता जी के दर्शन से ही सत्यार्थी प्रभावित सा होने लगता है। राजनीतिक अखाड़े के अशुभवी दंगलबाज नेताजी उसे देखते ही सब कुछ भांप जाते हैं और बड़े गर्मजोशी से उसका स्वागत करते हुए बांह फैलाते हैं - "अरे, आओ सत्यार्थी आओ । कहो, कैसे आना हुआ ।"

सत्यार्थी क्षणभर को असमंजस में आ जाता है - " तो

क्या नेता जी मुझे पहले से ही जानते हैं। लेकिन कभी - - - ।"

और, एयरकंडीशन्ड ड्राइंग रूम के सोफे में धँसते हुए सत्यार्थी दीवारों पर टंगी देश की राजनीति के दो-चार महारथियों की तस्वीरों पर दृष्टि दौड़ाने लगता है। उसे महसूस होता है - जैसे वह अपनी ओज में अब सफल हो जायेगा। शायद वही सही जगह आ गया है ।

नेता जी मौन तोड़ते हैं - "कहो भाई, और क्या हाल-चाल है ।" सत्यार्थी जागता है। सच को पा लेने की बेचैनी में वह सीधा सवाल करता है - "नेताजी, बात ऐसी है कि आजकल बेईमानी, भ्रष्टाचार और कालेधंधे ने मनुष्यता को जहरीला बनाकर आदमी के अस्तित्व के लिए संकट पैदा कर दिया है। इसकी बुनियाद की सच्चाई की ओज के क्रम में ऐसा लगा कि सभी की कड़ी आपसे ही जुड़ी हुई है। गलत तरीकों से हासिल की गई कमाई का उपयोग कुछ तो लोग अपनी जरूरतों की पूर्ति, शान-शौकत के लिए करते हैं और उसका बड़ा हिस्सा आपकी सेवा में अर्पित कर देते हैं । आखिर इतना पैसा आप करते क्यों हैं । किस लिए बटोरते हैं ये धन । आप जन-प्रतिनिधि है, जनता की भलाई की कोई चिन्ता नहीं है आपको ।"

नेता जी झिंझके हुए ज़िलाड़ी हैं । स्थिति की गंभीरता को भांप कर उससे निपटने का उपाय स पलक झपकते ही वे चुटकियां बनाकर निकाल लेते हैं।

ओउली हंसी हंसते हुए वे सच्चाई उगलते हैं - "अरे भाई सत्यार्थी, सबके लिए मुझे ही जिम्मेवार ठहराते हो । यहाँ तो अपने हितों की सौदेबाजी है । भला मुझे कोई यूँ ही कुछ देता है क्या। और फिर मेरी पार्टी तो जनता के हितों की रक्षा के लिए ही काम करती है । पार्टी का धर्म यदि वे चलाते हैं तो यह उनके अपने हित की बात है। मुझे कहते हो कि मैं धन बटोरता हूँ । हाँ, आवश्यकता भर

रखता हूँ। लेकिन किसलिए ? अपने लिए ? नहीं, नहीं। अरे, मैं तो जनता का सेवक हूँ। चुनावों के समय तो सब कुछ अपनी जनता के बीच ही बाँट देता हूँ। कहाँ रखता हूँ अपने पास कुछ ?”

सत्यार्थी का सिर चक्कर जाने लगता है। जिस सच को वह अपनी मुद्दती में आया महसूस कर रहा था, वह फिसलसी हुई लगी। वह जिसे उद्गम, एक छोर समझ रहा था, वह तो पूरे चक्र का एक हिस्सा निकला।

- - - - : : : - - - -

- हिन्दी ज्ञान दीपिका-शुद्ध रूप -

नेजा अधिकारी के मन की थाह नहीं लगती। उनके लिए शब्द संकेत मात्र हैं। इस समय उनकी अवस्था चालीस वर्ष की है। मेरी आप पर श्रद्धा है। यह सुनते ही उसके होश उड़ गये। इसलिए उसने आदेश दे दिया था कि उसके मकान के सामने रोज छिड़काव किया जाय। किन्तु ऐसा करने से उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। अब कहते हैं कि निरपराध को दण्ड देना उचित नहीं। इतनी बात सुनकर वे विचारने लगे कि यह कौन है। उसमें किस जात की कमी है। अब वह सकुशल है। वह श्रीरोग हो गया। अच्छा तो अब तुम, वह और मैं जाऊंगा। जय सीताराम जी।

- जरा बिचारो -

गिरिजा नन्दन सिंह

एक बार द्वन्द्वों से ऊपर उठकर मन में जरा बिचारो -
"क्या हिन्दी ही हिन्द देश को एक सूत्र में बांध सकेगी ?
अर्थ-धर्म विज्ञान-ज्ञान की सकल साधना साध सकेगी ?"
यदि हाँ, तब इसके प्रांगण में एक बार तो जरा पधारो ।

लोकतंत्र के मंत्र पूकना यहाँ दूसरे की भाषा में ।
भंगनी के इन साज-बाज से सजी बरात भले फल जाए,
किन्तु कठिन है जीवन में हम सदा रहें इनको अपनाए ;
जनहित अपर देश की वाणी नहीं राष्ट्र की परिभाषा में ।

इसमें तेरे मन्दिर-मस्जिद इसमें तेरे गिरिघर हैं,
इसमें तेरे गुरुद्वारा औ किंतन सहज सनातन विर हैं,
इसमें तेरे हास्य ~~सदृश~~ है, इसमें तेरी है अंगड़ाई

इसमें नवयुग की पुकार है, इसमें युग के नूतन स्वर हैं,
युग निधिभार वहन करने की इसने शक्ति अनोखी पाई,
हिन्दी के प्रांगण में तेरा स्वागत है, तुम आओ भाई ।

हिन्दी प्रेम एवं एकता की भाषा है ।

- श्रीमती महादेवी वर्मा -

- हिन्दी ज्ञान दीपिका -

निम्नलिखित वातालाप को सावधानी से पढ़िए। इसमें पच्चीस गलतियाँ हैं। कृपया हिन्दी में अपनी दक्षता गलतियों को पता लगाकर देखें।

लेखा पदा-अधिकारी के मन के थाह कापता नहीं चलता। उनके लिये शब्द केवल संकेत मात्र हैं। इस समय उनकी आयु चालीस वर्ष की है। मैं आपका श्रद्धा करता हूँ। यह सुनते ही उसका होश उड़ गया। इसलिए वह हुक्म दे दिया था कि उनके मकान के सामने रोज छिड़काव की जाय। किन्तु ऐसा करने से उसकी आँखों से आँसू बहता है। अब कहते हैं कि निरपराधी को दण्ड देना उचित नहीं। उतना बात सुनकर वह विचारने लगे कि यह कौन है। उसमें कौन बात की कमी है। जो हो अब वह सकुशल पूर्वक है। तब वह आरोग्य हो गया। अच्छा तो अब मैं, वह और तुम जाऊंगा। जै सिताराम जी की।

- = - = - = : : : = - = - = -

- | | | |
|------------------------------------|---|--------|
| 6 तक गलतियों को पकड़ने वाले | - | साधारण |
| 7 से 12 तक गलतियों को पकड़ने वाले | - | कुशल |
| 13 से 18 तक गलतियों को पकड़ने वाले | - | प्रवीण |
| 19 से 25 तक गलतियों को पकड़ने वाले | - | दक्ष |

- बाट खोया रे बटोही -

जय प्रकाश मल्ल

रे बटोही बाट खोकर
क्यों अभी मन मार बैठा ।
दूरियां कितनी सरकनी
क्यों अभी से हार बैठा ॥

लक्ष्य के पहले चरण में
इस तरह मायूस होना ।
मजिले मकसूद का कर
ध्यान यूँ खामोश होना ।
यह न जन को लोभता है
क्लान्त रहता एक कोना ॥
बाट तो खुद ही मिलेगा
बस बढ़ा यह पग सलोना ॥

पाथेय भी कुछ खर्च कर ले
जा रहा ये आँखें ऐंठा ।
रे बटोही बाट खोकर
क्यों अभी मन मार बैठा ॥

सूर्य तो होगा बिरोधी
चाँद तारे हैं सहारे ।
पगडंडियों से चल के रे
देखना सारे नजारे ॥

डगमगाते पांच क्यों है
 क्यों हृदय में त्रास पैठा ।
 रे बटोही बाट ओकर
 क्यों अभी मन मार बैठा ॥

-----:~::~~::~-----
 - तेरी याद में -

बंशीधर मिश्र

तेरी याद में मेरा तड़पता है जिया,
 ये कैसा जुलम तूने म्हापे किया ।
 तेरा जिया भी तड़पता होगा मेरी तरह,
 बिन पानी तड़पती मछली की तरह ।

तू क्या जाने कैसे जीते हम तेरे बिना,
 होश कहाँ है जानेमन अब तेरे बिना ।
 दिन अधिरा, रात अधिरी तेरे बिना,
 लगता नहीं जिया अब तेरे बिना ।

न सोने में चैन, न जगने में चैन,
 तेरी एक दरश को तरस रहे नैन ।
 पास होती तो दिल को सकुन होता,
 होश आते भले ही मदहोश होता ।

जुलम कैसा किया ऐ सितमगर,
 पर, ऐ दिल झू इसका गम न कर ।
 आनन्द प्यार की जुदाई -तड़पन में होता है,
 प्यार बढ़ता है उतनी जितनी दूरी होती है ।

=x=x=x=x= : x=x=x=x=x=

हिन्दी हमारे देश और भाषा की प्रभावशील विरासत है ।

- माऊन लाल चतुर्वेदी -

- कुछ महत्वपूर्ण युग्म-शब्द -

1. अनल	=	आग	7. तरणी	=	नौका
अनिल	=	हवा	तरणि	=	सूर्य
2. आदि	=	शुरू	8. नारी	=	स्त्री
आदी	=	अदरपे, अ-यस्त	नाड़ी	=	नस
3. अंस	=	कंधा	9. नीर	=	जल
अंश	=	हिस्सा	नीड़	=	घोंसला
4. आसन	=	बैठक	10. प्रसाद	=	कृपा
आसनन	=	निवृत्त	प्रासाद	=	महल
5. कुल	=	वंश	11. व्यसन	=	बुरी आदत
कूल	=	किनारा, तट	वसन	=	वस्त्र
6. चिर	=	अतिशय	12. सुर	=	देवता
चीर	=	वस्त्र	सूर	=	अंधा, सूर्य

- - - - : : : : - - - -

- अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्यायों की संक्षिप्त सूची -

1. Day by day	दिन-प्रति-दिन ।
2. Deemed to be	समझा जायेगा ।
3. De facto	वस्तुतः, यथार्थ में ।
4. De jure	विधितः, कानूनन ।
5. De nove	नये सिरे से ।
6. Devoid of	से रहित, के बिना
7. En bloc	एक साथ, सामूहिक रूप में ।
8. Ex-cadre post	संवर्गवाह्य पद ।
9. Ex-gratia payment	अनुग्रह पूर्वक अदायगी ।
10. Ex-officio	पदेन ।
11. Ex-parte	इकतरफा, एक पक्षीय ।
12. Ex-post facto sanction	कार्योत्तर मंजूरी ।



